प्रेस नोट दिनांक 28.08.223

साइबर अपराधियो पर लगातार कार्यवाही जारी रखते हुए दिनांक 01/01/2023 से 27/08/2023 तक कुल 43 साइबर अपराध पीडित व्यक्तियों के 16,36,668/- रुपये कराये गये वापस

वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री शिवप्रकाश सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री विजय सिंह तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये **दिनांक 01 जनवरी 2023 से अब-तक कुल 43 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 16,36,668/- रुपये** अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री विजय सिंह, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी हरिशचन्द्र , आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा अथक प्रयास करके 43 पीडितों का शत-प्रतिशत रुपया बरामद कराया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आम जनमानस द्वारा बैंक आने जानें व बैंकिग औपचारिकताओं में नष्ट होने वाले समय से बचने के लिये व भारत सरकार के डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के क्रम में आम जनमानस भी जिनके पास एन्ड्राइड मोबाइल उपलब्ध है ऑन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे हैं लेकिन इस कार्य में जरा सी असावधानी होने पर कई लोग साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे है। अतः ऑन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे व्यक्तियों को यह जानकारी जरुरी है कि कैसे-कैसे हम साइबर ठगी का शिकार हो सकते है और क्या सावधानी अपनायें की साइबर ठगी से बचा जा सके।

साइबर अपराध के प्रकार-

1. फोन पर कभी भी किसी प्रकार के लुभावने ऑफर प्राप्त करने हेतु कभी किसी को अपने बैंक, खाता, एटीएम न0, ओटीपी सम्बन्धी जानकारी शेयर करना।
2. किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा फोन पर पैसे प्राप्त करनें के लिये यूपीआई पिन डलवाना।
3. किसी भी अनजान लिंक/ वेबसाइट को ओपन करना।
4. ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से खरीददारी हेतु पूर्व भुगतान करते समय क्विक सपोर्ट/टीम व्यूवर/कस्टमर सपोर्ट आदि (स्क्रीन शेयरिंग) एप का इस्तेमाल करना।
5. अज्ञात कॉलर द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओ व कालोनी स्वीकृत किये जाने के नाम पर भी पैसों की मांग किया जाना।
6. साइबर एक्सटार्शन (न्यूड वीडियो क्लिप भेजकर/धमकी भरे हमले को रोकने के लिये पैसे की मांग करना)।
7. आपके किसी परिचित को एक्सीडेन्ट/बीमार दिखाकर ईलाज हेतु आन लाइन पैसे की मांग करना।
8. सोशल मीडिया पर सस्ते दामों पर सामान बेंचने के नाम पर ठगी(फिसिंग) करना।
9. अज्ञात नम्बरों से हूबहू आपके परिचितों की आवाज में पैसे आदि की डिमाण्ड करना।
10. घर बैठे रोजगार (पेन्सिल कारोबार, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइबर बढाये जाने का कार्य) पाने के नाम पर ठगी।

साइबर अपराध से बचाव के उपाय-

1. फोन पर कभी भी किसी प्रकार के लुभावने ऑफर प्राप्त होने पर आप कभी किसी को अपने बैंक, खाता, एटीएम न0, ओटीपी सम्बन्धी जानकारी शेयर न करें।
2. किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर फोन पर पैसे प्राप्त करनें के लिये यूपीआई पिन न डालना। यूपीआई पिन हमेशा पैसे भेजने के लिये प्रयोग होता है न कि प्राप्त करनें के लिये।
3. किसी भी अनजान लिंक/ वेबसाइट को ओपन करने पर आपकी पर्सनल जानकारी फ्राडर तक साझा हो जाती है, इससे बचें।

4. ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से खरीददारी हेतु पूर्व भुगतान करते समय क्विक सपोर्ट/टीम व्यूवर/कस्टमर सपोर्ट आदि एप का इस्तेमाल करने से आपके हैण्डसेट की स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है, उक्त एप्स के इस्टालेशन से बचें।
5. अज्ञात कॉलर द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओ व कालोनी स्वीकृत किये जाने के नाम पर भी पैसों की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें)।
6. साइबर एक्सटार्शन (न्यूड वीडियो क्लिप भेजकर/धमकी भरे हमले को रोकने के लिये पैसे की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें)।
7. आपके किसी परिचित को एक्सीडेन्ट/बीमार दिखाकर ईलाज हेतु आँन-लाइन पैसे की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें)।
8. सोशल मीडिया पर सस्ते दामों पर सामान बेंचने के नाम पर ठगी(फिसिंग) करतें हैं सामान अधिकृत विक्रेता/दुकान से ही खरीदें किसी को एडवान्स पैसा न भेजें।
9. अज्ञात नम्बरों से हूबहू आपके परिचितों की आवाज में पैसे आदि की डिमाण्ड करने पर अपने उस परिचित से पुष्टि करने के उपरान्त ही पैसे भेंजे।
10. घर बैठे रोजगार (पेन्सिल कारोबार, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइबर बढाये जाने का कार्य) पाने के नाम पर ठगी/पैसे की मांग करनें पर पैसे न भेंजें ।

नोट- किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत क़ॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर कम्पलेंट रजिस्टर करें या अपनें थाना के साइबर हेल्प डेस्क / जनपदीय साइबर सेल को तत्काल सूचना दें।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित व 04 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). प्रभारी निरीक्षक मऊ राजेश कुमार द्विवेदी तथा अपराध निरीक्षक श्री अभयराज सिंह व आरक्षी सूरजपाल उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 136/2022 धारा 306 भादवि0 के वांछित अभियुक्त अर्जुन पुत्र संतोष तिवारी निवासी ग्राम पुरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री श्यामदेव सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0सं0 268/2005 धारा 279,304 भादवि के वारण्टी अभियुक्त मुन्ना डोमार पुत्र सुक्खू निवासी बिहारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट तथा वारण्टी अभियुक्त कृष्ण कुमार पाण्डेय पुत्र जगतपाल निवासी बगलई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). वरि0उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह थाना भरतकूप तथा उनके हमराही पीआरडी काली चरन द्वारा वारण्टी अभियुक्त राम कृपाल सिंह पुत्र स्व0 शिव नंदन सिंह निवासी वीहर पुरवा मजरा पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री इमराम खान थाना भरतकूप तथा उनके हमराही आरक्षी अजीजुद्दीन द्वारा वारण्टी अभियुक्त राजकरन पुत्र स्व0 तिजोल निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप चित्रकुट को गिरफ्तार किया गया।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय एवं एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार सरोज द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति श्री दीप नारायण तिवारी द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 02/2014 धारा 147/148/452/323/325 भादवि के आरोपी अभियुक्त 1. रामेश्वर पुत्र मिहीलाल 2. आशीष कुमार पुत्र रामेश्वर 3.

अन्तु उर्फ दुर्गेश पुत्र रामेश्वर 4. सुरेश पुत्र देवकुमार निवासीगण वंशरुप का पुरवा मजरा भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 5. इन्द्रजीत पुत्र जयराम निवासी बरकोट का पुरवा मजरा भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 08.01.2014 को माननीय न्यायालय के आदेश पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 02/2014 धारा 147/148/452/323/325 भादवि बनाम रामेश्वर आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। वादी श्री रामलखन पुत्र भोली राम निवासी वंशरुप का पुरवा मजरा भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा तहरीर प्रार्थना पत्र में दर्शाया गया था कि दिनाँक 13.10.2013 को रामेश्वर आदि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा एकराय होकर वादी के घर में घुसकर उसको लाठी, डंडों एवं कुल्हाड़ी से मारा पीटा था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री सत्यवीर सिंह द्वारा की गयी थी एवं आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 05.04.2014 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित व 04 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
(i). प्रभारी निरीक्षक मऊ राजेश कुमार द्विवेदी तथा अपराध निरीक्षक श्री अभयराज सिंह व आरक्षी सूरजपाल उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 136/2022 धारा 306 भादवि0 के वांछित अभियुक्त अर्जुन पुत्र संतोष तिवारी निवासी ग्राम पुरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(ii). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री श्यामदेव सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0सं0 268/2005 धारा 279,304 भादवि के वारण्टी अभियुक्त मुन्ना डोमार पुत्र सुक्खू निवासी बिहारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट तथा वारण्टी अभियुक्त कृष्ण कुमार पाण्डेय पुत्र जगतपाल निवासी बगलई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(iii). वरि0उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह थाना भरतकूप तथा उनके हमराही पीआरडी काली चरन द्वारा वारण्टी अभियुक्त राम कृपाल सिंह पुत्र स्व0 शिव नंदन सिंह निवासी वीहर पुरवा मजरा पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(iv). उ0नि0 श्री इमराम खान थाना भरतकूप तथा उनके हमराही आरक्षी अजीजुद्दीन द्वारा वारण्टी अभियुक्त राजकरन पुत्र स्व0 तिजोल निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप चित्रकुट को गिरफ्तार किया गया।

(5). आज दिनांक 28.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(6). आज दिनाँक-28.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अनुज मिश्र के पर्यवेक्षण में डॉग स्क्वॉयड एवं एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा सावन मास के अंतिम सोमवार के अवसर पर सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत रामघाट पर संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(7). आज दिनाँक 28.08.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी